

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/नागौर/2010

जयपुर, दिनांक :

28 DEC 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नियोजित मेट की
मृत्यु की स्थिति में मुआवजा राशि देने के क्रम में। 11060/3/2009

संदर्भ:- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक जे-11060/3/2009-
महात्मा गांधी नरेगा दिनांक 10.12.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत, लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
2005 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 26 में योजनान्तर्गत नियोजित व्यक्ति के योजना पर
उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में अनुग्रह
राशि दिये जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त संदर्भानुसार यह अवगत कराया है कि
चूंकि मेट का नियोजन योजनान्तर्गत किया गया है। अतः वह भी अधिनियम के प्रावधानों के
अनुसार अनुग्रह राशि प्राप्त किये जाने का हकदार है। अतः इस संबन्ध में ग्रामीण विकास
मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

M. S. 24/12/10
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान
एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।


परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस



10759
16-12-10

J S AUDHKHASI
UNDER SECRETARY(NREGA)
Tele: 2338 1709

10658
16/12/10

173

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001

Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi - 110 001

No. J-11060/3/2009-MGNREGA

10th December 2010

Dear Sir,

Kindly refer to your letter No.F1(2)/RD/NREG/Gui/Nag/2010 dated 8th November 2010 seeking clarification regarding ex gratia payment to the labourers in case of death.

2. The matter was examined in the Ministry in consultation with the Finance Wing. As the labourer employed as Mate receives remuneration, he or she shall be covered within the ambit of definition of the term "person employed under the scheme" and shall be entitled to ex gratia payment as per the provisions of the Mahatma Gandhi NREG Act

Regards,

Yours sincerely,

J S Audhkhasi
(J S AUDHKHASI)

Shri Tanmay Kumar
Secretary and Commissioner(EGS)
Rural Development and Panchayati Raj Department
Government of Rajasthan
Secretariat
Jaipur

Pl. put copy on
Guideline file
[Signature]
20/12

PD (EGS)
EE(V) 15
15/12/10
Imp clarification
we must
send
EE(V)
Copy to
all OPCs
& ADPCs
20/12/10

KM
Pl. put copy
file
[Signature]